18/9/20 आज यह पत्रावली मूल दावा संख्या की
सुनवाई हुई। वकील उप० आर्थ/वकील
अपीलकर्ता की दरख्वास्त बहसदलील सुनी
गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र
के बिन्दुओं को दोहराते हुए विवादित आराजी के
अमन 1/11 हिस्सा होकर काबिज काश्त होना अवगत
कराते हुए मूल दावा के निर्णय तक अपीलार्थी
को पाबन्द किये जाने का आग्रह किया। इसी अनुक्रम में दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने
अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते
हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी अपने हिस्से में
मकानात बना रहा है। विवादित आराजी प्रार्थी एवं
प्रार्थी के अन्य भाई बहिनों की साझेदारी बोतरानी
की आराजी होकर सभी भाई बहिनों के
हिस्से 1/7 1/7 का हिस्सा विभाजन कर लिया
है जिसके प्रार्थी के अपने भाई मुकेश सिंह का
हिस्सा बीच का उनके हिस्से पर नींव खोदकर चार
दिवारी का निर्माण चालू करवाई तथा वक्त
बयान मुकेश सिंह के अपने केवल सिंह के
पक्ष में एक सहमति पत्र इस आशय का लिखाई कि
उक्त विवादित भूमि सड़क के लगभग है जो
अपना सेडावास रोड से [illegible] की भूमि छोड़कर बेचान कर दिया है जो अनुसार
कब्जा प्राप्त कर लिया है। प्रार्थी व अप्रार्थी
आपस में सहकाश्तकार बोतदार है जो एक दूसरे काश्तकार
सहकाश्तकार को धारा 188 राज० काश्त०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:08:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

अधिनियम 1955 से पाबन्द नहीं करा सकता। आदि-आदि का विवेचन करते हुए प्रकरण दृष्टया प्रकरण, प्रविधि का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपार्थी के पक्ष में स्पष्टतया साबित होने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अभिमत किया।

वकील उभय पक्षगण को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत इस्तावेजात के गहन अध्ययन उपरान्त प्रथम दृष्टया प्रकरण वाले बिन्दु पर यह न्यायालय प्रार्थी के हक में न पाकर अपार्थी के हक में साबित पाता है और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण अपार्थी के हक में साबित की स्थिति में प्रविधि का सन्तुलन वाले बिन्दु को भी वह अपार्थी साबित पाते है और प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं प्रविधि का सन्तुलन वाले दोनों बिन्दु ही प्रार्थी के हक में साबित नहीं होकर वह अपार्थी पाये जाने की स्थिति में अपूरणीय क्षति वाले बिन्दु को भी यह न्यायालय स्पष्टतया के खिलाफ प्रार्थी होकर वह अपार्थी पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से यह न्यायालय काबिल खारिज पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को काबिल खारिज पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है एवं पूर्व में जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा वापस के आदेश दिनांक 30.10.2020 निरस्त किये जाते है। पत्रावली के जत्थे हुआ हो नम्बर के कब्जे वाद तक काबिल तलब के रूप दाखा रहे। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajawat
Date: 2021.07.2
Reason: SelfAtt